न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, आर0ए0एस0

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
हबीब शेख पुत्र अब्दुल गनी जाति मुसलमान निवासी शिवगंज	बनाम	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री महेश अग्रवाल

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

रा0प्रा0 पत्र स0 55/2025
दिनांक 25.07.2025

–::आदेश::–

उपरोक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बडगांव, पटवार हल्का बडगांव, भू.अभि.नि.क्षेत्र शिवगंज, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही (राज.) की खसरा संख्या 805/1146 रकबा 0.3804 हैक्टर किस्म बंजर आई हुई स्थित है। राजस्व आराजी का प्रार्थी खातेदार कृषक है जिस पर प्रार्थी काश्त कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है प्रार्थी के खातेदारी वाली उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 805/1146 की कृषि भूमि के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी की बिलानाम कृषि भूमि खसरा संख्या 805/7 स्थित हैं। अप्रार्थी की बिलानाम कृषि भूमि खसरा संख्या 805/7 के आगे बडगांव से देवली जाने वाला पक्का आम रास्ता स्थित हैं लेकिन प्रार्थी की उपरोक्त कृषि आराजी पर आने–जाने के लिए तथा मवेशी, ट्रैक्टर, बेलगाडी इत्यादी के लिए राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं हैं, प्रार्थी की उक्त राजस्व आराजी के पश्चिम दिशा में आगे अप्रार्थी की बिलानाम भूमि खसरा संख्या 805/7 से लगता बडगांव से देवली जाने वाला पक्का रास्ता स्थित है तथा रास्ते से प्रार्थी के खसरा संख्या 805/1146 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खसरा संख्या 805/7 सरकारी बिलानाम भूमि में से होता हुआ पश्चिम से पूर्व की ओर कच्चा रास्ता करीब 30 फीट चौडा रास्ता कदीमी से बना हुआ हैं जिसे संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शित किया गया है। उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग प्रार्थी अपने पूर्व रसाधिकारीयों के जरिये करता आ रहा हैं उक्त बिलानाम कृषि भूमि के रास्ते के अलावा प्रार्थी के खातेदारी वाली उपरोक्त कृषि आराजी में आने–जाने हेतु और कोई रास्ता ना तो राजस्व रेकर्ड में उपलब्ध हैं एवं ना ही मौके पर उपलब्ध हैं संलग्न नक्शा में दर्ज खसरा संख्या 805/7 में स्थित रास्ता राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं होने से अप्रार्थी के भूमिधारक होने से अप्रार्थी की बिना अनुमति के प्रार्थी को अप्रार्थी की बिलानाम भूमि में से रास्ते के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न हो रही हैं और वर्तमान में रास्ते में कंटीली झाडिया होने से रास्ता बंद हैं प्रार्थी द्वारा काफी कोशिश करने के बावजूद अप्रार्थी उक्त रास्ते को नहीं खोल रहा हैं जिससे उपरोक्त रास्ते को खुलवाया जाना एवं राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाया जाना प्रार्थी के लिए अंत्यन्त ही आवश्यक हो गया हैं। प्रार्थी बडगांव से देवली जाने वाले रास्ते से अप्रार्थी की खसरा नं0 805/7 बिलानाम कृषि भूमि से होकर अपनी आराजी पर आता जाता था। जिससे प्रार्थी को अपने खातेदारी की कृषि भूमि पर आने जाने से व उसके उपयोग उपभोग करने से वंचित नहीं किया जा सकता है प्रार्थी नियमानुसार अपनी कृषि आराजी तक आने जाने के लिए प्रार्थी के खातेदारी वाली कृषि भूमि बसरा संख्या 805/7 से बडगांव से देवली जाने वाली सडक के बीच में स्थित अप्रार्थी की सरकारी भूमि खसरा संख्या 806/7 में से 30 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करना चाहता है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांकः प.3(52) राज–6/12/4/ दिनांक 14.06.2013 के परिपत्र अनुसार प्रार्थी द्वारा संलग्न नक्शे में आवेदित रास्ता लघुत्तम एवं निकटतम तथा 30 फीट से अधिक चौडा नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा पूर्व में उपयोग व उपभोग किये जा रहे खसरा संख्या 805/7 में सिथत रास्ता राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में इन्दाज नहीं होने से वर्तमान में विधि विरुद्ध तरीके से बंद हैं और बावजूद निवेदन अप्रार्थी रास्ता खोलने हेतु तैयार नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण व आधार पैदा हुआ है। राजस्थान राज्य भूमिधारक होने व राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने हेतु प्राधिकृत होने से उन्हें अप्रार्थी बनाया गया है क्योंकि रास्ता हेतु मांगी गई सरकारी भूमि होने से अप्रार्थी के विरुद्ध प्रभावी अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थी के खातेदारी वाली उक्त कृषि आराजी व अप्रार्थी भूमिधारक की सरकारी भूमि मौजा बडगांव, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही में स्थित होने से प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर मुख्य रास्ते से प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 805/1146 में आने जाने हेतु संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शित भाग वाला रास्ता जो अप्रार्थी के खसरा संख्या 805/7 की बिलानाम कृषि भूमि में से होकर निकलता हैं जिसकी चौडाई 30 फीट हैं को खुलवाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज व तरमीम किये जाने के आदेश पारित करना फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:11:35 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

.... शेष पेज संख्या दो पर

प्रकरण सं0 55/2025
हबीब शेख बनाम तह0 शिवगंज
अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार शिवगंज को मौका जॉच रिपोर्ट हेतु पत्र क्रमाक 346 दिनाक 13.06.2025 को जारी कर मौका जॉच रिपोर्ट चाही गई। दिनांक 23.07.2025 को तहसीलदार शिवगंज के पत्र कमांक 450 दिनांक 16.07.2025 के द्वारा रास्ते का प्रस्ताव पेश किया। तहसीलदार शिवगंज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है व उपरोक्त खातेदारी में प्रवेश का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने हेतु ग्राम बडगांव के खसरा नं0 805/7 रकबा 8.2394हैक्टयर भूमि में से प्रस्तावित किया गया है जो बिलानाम (राजस्थान सरकार) के नाम दर्ज है। प्रस्तावित रास्ता 24 मीटर लम्बा तथा 9.15 मीटर चौडा है जिसका कुल क्षैत्रफल 219.6 वर्गमीटर बनता है जो निकटवर्ती सरकारी रास्ता खसरा से जुडता है तथा लधुत्तम दूरी पर है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर 12,40,000/– रूपये प्रति हेक्टयर है जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि की कीमत 27280/–रूपये बनती है जिसकी दुगुनी कीमत 54560/–रूपये बनती है। दिनांक 23.07.2025 को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर तहसीलदार शिवगंज द्वारा भिजवाये गये रास्ते के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की गई।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि में पंहुच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लधुत्तम दूरी पर स्थित है, रास्ते की अत्यंत आवश्यकता सिद्ध की है, जिससे प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत है।

कसं0	खातेदार का नाम	खसरा नं0	खसरे में प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल	डीएलसी दर	डीएलसी दर के कीमत रूपये	प्रार्थीगणों द्वारा जमा कराने योग्य दुगुनी राशि
1	बिलानाम (राजस्थान सरकार)	**805/7**	24X9.15 =219-60 वर्गमीटर	12,40,000 रू0 प्रति0 हैक्टयर	27280	54560/–रूपये अक्षरे चौपन हजार पांच सौ सांठ रूपये मात्र।

अतः तहसीलदार शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा बडगांव तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 805/1146 रकबा 0.3804 हैक्टयर भूमि में आने जाने हेतु मौजा बडगांव के उपर सारणी के अनुसार भूमि में से पंहुचने हेतु सरकारी बिलानाम भूमि के मौजा बडगांव के खसरा नं0 805/7 रकबा 8.2394 हैक्टयर में से 9.15 मीटर चौडा एवं 24 मीटर लम्बाई की डीएलसी दर 12,40,000/–रूपये प्रति हेक्टयर होने से राशि 27280/–रूपये होती है जिसकी **दुगनी राशि 54560/–(चौपन हजार पांच सौ सांठ) रूपये** का भुगतान प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय शिवगंज के राजकोष में जमा कराने के पश्चात ही सरकारी बिलानाम भूमि में से कम की जाकर रास्ता भूमि को राजस्व रेकर्ड में **किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी बिलानाम** खाते में दर्ज की जावे। प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 को आदेश का अभिन्न अंग माना जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:11:35 IST
Reason: SelfAttested

(नीरज मिश्रा)
सहायक कलक्टर
शिवगंज
सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक/कोर्ट/2025/ 442
दिनांक 25.07.2025

प्रतिलिपिः–

तहसीलदार शिवगंज को एक माह में पालना कर रिपोर्ट आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु प्रेषित है।

सहायक कलक्टर
शिवगंज
सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)